निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या – 43 / 11
दायरा दिनांक – 08.06.2011
निर्णय दिनांक – 12/3/2025

उनवान

1. जमनालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति गुसाई निवासी ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बारा जिला बारा

वादी–

बनाम

1. ग्यारसी बाई पुत्री अमरलाल उम्र 65 वर्ष पत्नि रामकरण पुरी जाति गुसाई निवासी तहसील बारा जिला बारां
2. चमेली बाई उम्र 62 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नि मोहनलाल पुरी जाति गुसाई निवासी कोटडा तह0 बारां हाल निवासी नारायण पुरी का मठ चरी घाट रोड बारां तह0 बारां
3. नट्टी बाई उम्र 59 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नि शिव जी जाति गुसाई निवासी बोरीना तहसील बारां
4. चम्पा बाई उम्र 35 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नि राधेश्याम जाति गुसाई निवासी बेठा तहसील शाहबाद हाल निवासी
5. सूना बाई उम्र 32 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नि छीतरलाल जाति गुसाई निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92, व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 12/3/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड0 – वादी
2. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 व 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बारां मे संम्वत 2067 से 2070 की जमाबन्दी मे खसरा नं. 79 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नं. 80 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं. 81 रकबा 0.34 है. खसरा नं. 82 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 83 रकबा 0.08 है. खसरा नं 84 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नं. 88 रकबा 0.55 हेक्टर खसरा नं 101 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नं. 87 रकबा 0.14 है. खसरा नं. 89 रकबा 0.05 है., खसरा नं. 103 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नं. 142 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 2.57 हे0, स्थित है जिसे प्रस्तुत वाद मे आगे

उप खंण्ड अधिकारी
बारॉं

विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदार कृषक दर्ज है। वादग्रस्त भूमियो के साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 15 बिस्वा खसरा नं0 57 रकबा 5 बिस्वा, खसारा नं. 82 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 28 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 39 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 41 रकबा 5 बिस्वा खसरा नं. 42 रकबा 4 बिस्वा, खसारा नं0 49 रकबा 12 बिस्वा 3 बिस्वा खसरा नं. 50 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 56 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 10 किता रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित थी। जो सम्वत 2031–34 की जमाबंदी मे अमरा पुत्र मोतीलाल कौम गुसाई के नाम दर्ज थी। अमरा वादी का पिता था तथा वादी के अलावा अमरा के पांच पुत्रीयां थी। जो इस वाद मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 है। अमरा पुत्र मोतीलाल का 1982 मे देहान्त हो गया है । अमरा ने अपने जीवन काल मे ग्यारसी बाई, चमेली बाई, नट्टी बाई व की शादियां की तथा उनके लडके लडकियो की शादी मे मौसाले वगैराह किये। इस प्रकार अमरलाल ने अपने जीवन काल मे तीनो लडकियो की जिम्मेदारियां पूरी की, इनकी शादियो मे पैसा खर्च किया व मोसाले वगैराह मे पैसा खर्च किया अमरलाल के मरने के बाद चम्पाबाई व सूना बाई की शादियां वादी ने की, इनकी शादियो मे समस्त पैसा वादी ने खर्च किया तथा इनके लडके लडकियो की शादी मे भी वादी ही समस्त पैसा खर्च करता है तथा आज सभी समस्त प्रतिवादीगण को बार त्योहार बुलाता है व मानता है। इस प्रकार वादी ने अपनी समस्त जिम्मेदारिया पूरी तरह निभाई है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे वर्ष 2005 मे संशोधन हुआ है तथा इस संशोधान के बाद ही पिता की संपत्ति मे पुत्रीयो को हक मिला है क्योकि इस प्रकरण मे अमरलाल सन् 1982 मे फोत हो गया था इस प्रकरण कारण अमरलाल के मरने पर वादग्रस्त भूमियो पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम दर्ज नही होना चाहिये था। वैसे भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम ए.एस.ओ ने दिनांक 31–1–83 को इन्तकाल नं. 163 से दर्ज किया है जो खिलाफ कानून है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने 1983 से आज दिन तक कभी भी वादग्रस्त भूमियो को काश्त नही किया है एंव वादी ही समस्त भूमियो को काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण वादग्रस्त भूमियो मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का कोई हक हिस्सा नही है तथा वादग्रस्त भूमिया तन्हा वादी के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु प्रतिवादी क्रम 6 के विधिक प्रतिनिधियो ने गफलत एंव लापरवाही से प्रतिवादी कम 1 ता 5 का नाम दर्ज किया है जो शून्य घोषित होने योग्य है। वादी वादग्रस्त भूमियो पर शांती पूर्वक रूप से काबिज है तथा उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियो को जबरन काश्त करके अपने हिस्से की भूमियो को बैचान व मुन्तकिल करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नही है। दिनांक 15–5–2011 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियो पर आ गये तथा जबरन काश्त करने की धमकी दी, वामुश्किल वादीगण के समझाने से वापस गयी । लेकिन एलानियाँ धमकी देकर गयी है कि आयन्दा मौका मलने पर विवादित भूमियो को रहन, बेचान करके रहेगी। अतएव वादी,

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एंव नालिशी है। वादी ने दिनांक 23–5–2011 को प्रतिवादी क्रम 6 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बांरा को नोटिस कानूनी दिलवाया जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुयी है लेकिन इस प्रकरण मे प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियो को खुद बुर्द करने पर आमादा है इस कारण मियाद नोटिस समाप्त होने तक इन्तजार करना संभव नही है। अतएव धारा 80 (2) दी प्र0 सं0 पत्र पेश करके वाद पेश करने की अनुमति ले ली गयी है। वाद कारण दिनांक 15–5–2011 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन वादग्रस्त भूमियां काश्त करने की धमकी देने नीज दिनांक 23–5–2011 को नोटिस देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्यांकन विवादित भूमि के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर दावा नियत न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। वादग्रस्त भूमिया ग्राम कल्याणपुरा घाटा तह बारां जमनालाल मे स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वादी प्रार्थी है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण् निम्न आशाय की डिक्री सादिर पारित की जावें। वाद पत्र की मद नं. 01 मे वर्णित भूमियों मे वादी के साथ जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम दर्ज है जो इन्तकाल नं 163 दिनांक 31–1–83 से दर्ज किया है, को शून्य घोषित किया जावें तथा वादग्रस्त भूमियो पर वादी को तन्हा रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जावें। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमियो के किसी भी हिस्से को जबरन काश्त नही करें व वादी को शांती पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें तथा विवादित भूमियो को रहन, बेचान या अन्यथा प्रकार से मुन्तकिल नही करें। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादी से दिलायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 01 ता 03 व 5 बावजूद सुचना अनुपस्थित न्यायालय में उपस्थित नही होने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वकील वादी द्वारा अपने पक्ष के संमर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा घाटा सम्वत 2031–2034, नकल जमाबन्दी खतोनी ग्राम कल्याणपुरा घाटा सम्वत 2067–2070, नकल जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल ग्राम कल्याणपुरा घाटा सम्वत 2038–2057, नकल नोटिस 80 सीपीसी दिनांक 23.05.2011, पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बारां की खसरा नं0 79 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 80 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 81 रकबा 0.34 हे0, खसरा नं0 82 रकबा 0.25 हे0, खसरा नं0 83 रकबा 0.08 हे0, खसरा नं0 84 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 87 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 88 रकबा 0.55 हे0, खसरा नं0 89 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 101 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 103 रकबा 0.26 हे0, खसरा नं0 142 रकबा 0.50 हे0, कुल 12 किता कुल रकबा 2.57 हे0, भूमि का विवाद चल रहा है जो हम पक्षकारान को हमारे पिता अमरलाल पुत्र मोतीलाल का वर्ष 1982 मे देहान्त होने

उप खंण्ड अधिकारी
बारॉं

के बाद भूमियां प्राप्त हुई थी। कि हम पक्षकारान सगे भाई बहिन है तथा हमारे पिता की मृत्यु 2005 के पूर्व हो गई थी इस कारण राजस्व कर्मचारियों को हम पुत्रियो का नाम ही दर्ज नही करना चाहिये था क्योकि हमारी शादी में हमारे पिता ने पर्याप्त दहेज दे दिया था तथा हमने भूमियों आज दिन तक कभी काश्त नही की समस्त भूमियो को हमारा भाई जमनालाल ही काश्त कर रहा है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में हमारा जो नाम दर्ज हो रहा है। उसको हटवाना चाहती हूँ। तथा हमारे भाई जमनालाल वादी के पक्ष में छोड रही हूँ। इस कारण हमारा जो हिस्सा हमारे भाई जमनालाल वादी के नाम दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन हे कि उपरोक्त भूमियों में हमारे भाई जमनालाल के साथ हमारा नाम जो हिस्सा दर्ज हो रहा है उसे हटा दिया जावे तथा संपूर्ण हिस्सा हमारे भाई जमनालाल/वादी के नाम दर्ज कर दिया जावे।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एव सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बारां की खसरा नं0 79 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 80 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 81 रकबा 0.34 हे0, खसरा नं0 82 रकबा 0.25 हे0, खसरा नं0 83 रकबा 0.08 हे0, खसरा नं0 84 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 87 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 88 रकबा 0.55 हे0, खसरा नं0 89 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 101 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 103 रकबा 0.26 हे0, खसरा नं0 142 रकबा 0.50 हे0, कुल 12 किता कुल रकबा 2.57 हे0, में से प्रतिवादी क्रम 04 के हिस्से का नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी एवं पंजीयन शुल्क जमा करवा देवें तो प्रतिवादी क्रम 04 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी के हिस्से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां